

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CX 644592

“मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1973 के धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

“संस्थान वक्तव्याणां समोत्प्रेक्षणं” संहिता पंजीयन क्र. 21.086
दिनांक 03/12/2049 के नाम से दिनांक 10/11/2015 के
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि धारा 29 के
तहत दिनांक 10/11/2025 को आवंटित श्री जितेंद्र कुमार
के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत
प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में
प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा
धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा
29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
के संबंध में प्रमाण-पत्र/आदेश नहीं है।

Handwritten signature
20/11/2025

S. K. Tiwari

Assistant Registrar

Firms & Society

Jabalpur Division, Jabalpur

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S6420505873611032019

अनुमोदन दिनांक : 17 Nov 2019

1. सोसायटी का नाम नव कल्याण एसोसियेशन होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक राजेश पिछोड़े, ग्राम कायदि, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश 481331 तहसील Warasivani जिला Balaghat मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 7697778777 ईमेल आईडी bnklawsolution@gmail.com
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1. अपने अपने वार्ड एवं पंचायत की सड़क, पानी बिजली एवं स्वच्छता की समस्याओं को पंचायत या वार्ड को अवगत कराना तथा सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता आदि के लिए संचालित योजनाओं में, संस्था के सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना
2. संस्था के सदस्यों के मध्य व्यवसायिक एवं पेशेवर विषय द्वारा, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाना तथा आपसी सहयोग से विकास करना
3. नशा कारक पदार्थों के सार्वजनिक विक्रय एवं उपयोग में राष्ट्रीय पाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हेतु कार्य करना
4. नागरिकों के स्वास्थ्य विकास हेतु कार्य करना
5. नागरिकों की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी सहयोग हेतु कार्य करना
6. राष्ट्रीय स्तर पर, सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त करने हेतु प्रयास करना
7. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने हेतु प्रयास करना
8. जनगणना का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर किये जाने हेतु कार्य करना
9. बेरोजगारी कम करने हेतु प्रयास करना
10. जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना
11. सबके लिए समान कानून व्यवस्था हेतु कार्य करना
12. शासकीय आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार केवल आर्थिक आधार पर किये जाने हेतु प्रयास करना
13. स्वच्छता के सम्बन्ध में कार्य करना
14. परिवहन नियम कानून सड़क निर्माण एवं रख रखाव के विषय में कार्य करना
15. वाहनों के परिचालन समय सिमा एवं हेलमेट नियम के सम्बन्ध में प्रयास करना
16. महंगाई के सम्बन्ध में कार्य करना
17. शासकीय नौकरियों में पदस्थापना के लिए सिविल सेवा परीक्षा के विषय पर कार्य करना
18. 6 वी से 12वी कक्षा तक प्रैक्टिकल शिक्षा हेतु कार्य करना

नियंत्रण मध्य 21.08.2019
नियंत्रण का दिनांक 31/12/19
असिस्टेंट जिल्दार

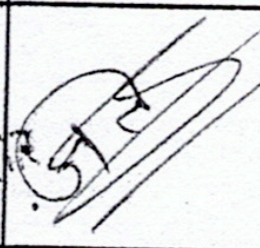
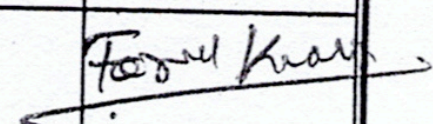
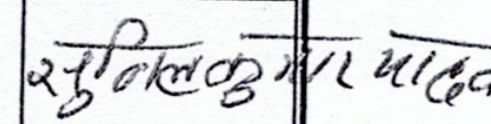
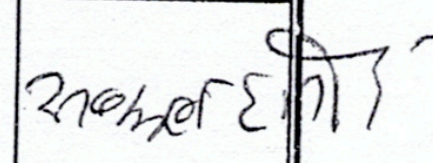
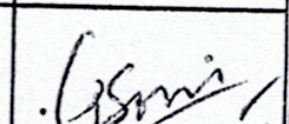
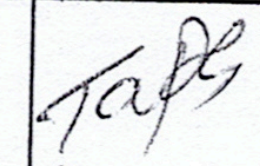
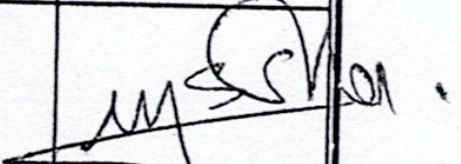
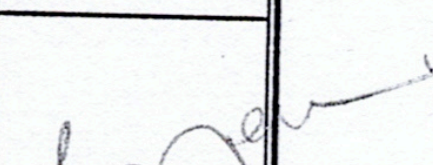
- 19 स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा का विषय प्रारम्भ करने हेतु कार्य करना
5वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था कैसी हो इस विषय पर प्रयास करना, राष्ट्रीय आय के
- 20 श्रोतों के नियमों में परिवर्तन के विषय में प्रयास करना, राष्ट्रीय आय के श्रोतों के नियमों में परिवर्तन के विषय में कार्य करना
- 21 आयकर दाताओं को इनके द्वारा 60 वर्ष की उम्र तक जमा की गई कुल आयकर राशि का 10 प्रतिशत इनके 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद एक मुश्त या किस्तों में वापस दिए जाने हेतु प्रयास करना
- 22 भ्रष्टाचार में नियंत्रण के लिए प्रयास करना
- 23 स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना, कृषि उत्पादों के भंडार गृहों का विकेंद्रीकरण करने हेतु प्रयास करना
- 24 छोटे एवं मध्यम कृषकों के लिए प्राकृतिक आपदा कृषि बीमा के सम्बन्ध में प्रयास करना
- 25 खिलाड़ियों एवं खेलों के विकास के लिए कार्य करना
- 26 व्यवस्थापिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य करना

4. 4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं:-

रजिस्ट्रार नम्बर 21086
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	जितेन्द्र अग्रवाल	बृजभूषण लाल अग्रवाल	अध्यक्ष	सी ४०२, डॉल्फिन प्लाजा रेसिडेंसी दलदल सिवनी रोड मोवा रायप, , Raipur, Chhattisgarh	कृषक
2	राजेश पिछोड़े	आनंद पिछोड़े	उपाध्यक्ष	ग्राम कयादी,, तहसील वारासिवनी बालाघाट, Warasivani, Balaghat, Madhya Pradesh	व्यवसायी
3	तरुण चतुर्वेदी	भुवन लाल	सचिव	कंतेली, मुंगेली, , Bilaspur, Chhattisgarh	व्यवसायी
4	सुनील कुमार यादव	भारत यादव	कोषाध्यक्ष	मकान न २९६ ग्राम सिसदेवरी पलारी, बलोदाबाजार, , Raipur, Chhattisgarh	कृषक
5	अब्दुल हामिद	अब्दुल रहीम	संयुक्त सचिव	नया कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
6	डॉ गोपाल प्रसाद सोनी	राघव राम	सदस्य	सोनीपारा,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	डाक्टर
7	मोहम्मद अफजल खान	अब्दुल अजीज खान	सदस्य	छोटापारा मस्जिद के पीछे, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
8	तापस डे	बटाकृष्ण डे	सदस्य	मकान न २३/२०३८, मंडी गेट,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
9	मधुसूदन शुक्ला	रमेश कुमार शुक्ला	सदस्य	ठाकुरपारा सिवनी वार्ड न 1, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	अधिवक्ता
10	प्रसनजीत राय	कन्हैया लाल राय	सदस्य	पी २६, महावीर नगर शिव मंदिर के पास, न्यू पुरेना रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी

5. समिति के इस जापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त जापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा जापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	जितेन्द्र अग्रवाल , बृजभूषण लाल अग्रवाल, सी ४०२, डॉल्फिन प्लाजा रेसिडेंसी दलदल सिवनी रोड मोवा रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
2	राजेश पिछोड़े , आनंद पिछोड़े, ग्राम कयादी,, तहसील वारासिवनी बालाघाट, Warasivani, Balaghat, Madhya Pradesh	
3	तरुण चतुर्वेदी , भुवन लाल, कंतेली, मुंगेली, , Bilaspur, Chhattisgarh	
4	सुनील कुमार यादव , भारत यादव, मकान न २९६ ग्राम सिसदेवरी पलारी, बलोदाबाजार, , Raipur, Chhattisgarh	
5	अब्दुल हामिद , अब्दुल रहीम, नया कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
6	डॉ गोपाल प्रसाद सोनी , राघव राम, सोनीपारा,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
7	मोहम्मद अफजल खान , अब्दुल अजीज खान, छोटापारा मस्जिद के पीछे, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
8	तापस डे , बटाकृष्ण डे, मकान न २३/२०३८, मंडी गेट,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
9	मधुसूदन शुक्ला , रमेश कुमार शुक्ला, कुरपारा सिवनी वार्ड न 1, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
10	प्रसनजीत राय , कन्हैया लाल राय, पी २६, महावीर नगर शिव मंदिर के पास, न्यू पुरेना रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	



(नियम 11 देखिए)

1525/2025
20/11/2025

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता - नव कल्याण एसोसियेशन

2. पता - ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश

3. प्रजीयन क्रमांक - 04/21/05/21086/19

4. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख - 15/08/2025

5. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची - कार्यालय तारीख 15/08/2025 से 14/08/2030 तक

6. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन

क्र.	नाम	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	स्व. श्री बृजभूषण अग्रवाल	अध्यक्ष	सी-402 डाल्फिन प्लाजा रेसीडेंसी, दलदल सीवनी रोड, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़	कृषक	
	श्री प्रसन्नजीत रॉय	श्री कन्हैया लाल रॉय	उपाध्यक्ष	प्लॉट नं. डी-402, सेक्टर-04, कमल विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	
3	श्री रिकेश कुमार साहू	श्री भुनेश्वर साहू	सचिव	वार्ड नं.-07, जुनाडीह, बेंदकुरा, मरौदा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़	कृषक	
4	श्री क्रांति कुमार साहू	श्री छोटेलाल साहू	संयुक्त सचिव	वार्ड नं.-12, डीहपारा, बिलारी, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	
5	श्री हरीश कुमार साहू	श्री राजकुमार साहू	कोषाध्यक्ष	वार्ड नं.-01, बजरंग चौक, खोरसी, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	
6	श्री राजेश पिछोड़े	स्व. श्री आनंद पिछोड़े	सदस्य	ग्राम-कायदी, तहसील-वारासिवनी, बालाघाट, मध्यप्रदेश	कृषक	
7	श्री चैनलाल माहूले	श्री यशवंत राव	सदस्य	वार्ड नं.-04, बालाजी नगर, कोसमी, बालाघाट, मध्य प्रदेश	व्यवसायी	
8	श्री दीपक उगले	श्री शंकर राव उगले	सदस्य	मलीपूरा, सालोद, वर्धा, महाराष्ट्र	व्यवसायी	
9	श्री सुनील कुमार यादव	श्री भारत यादव	सदस्य	मकान नं.-296 ग्राम-सिसवेदरी, पलारी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़	कृषक	
10	श्री मधुसूदन शुक्ला	श्री रमेश कुमार शुक्ला	सदस्य	ठाकुरपारा वार्ड नं.-01, सिवनी, रायपुर, छत्तीसगढ़	कृषक	

7. 25080/- रु. की फीस, चालान क्रमांक SBIN0006159147508112025814921 दिनांक 08/11/2025 के द्वारा जमा कर दी गई है।

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
घोषणा 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिनिधि

मैं, जितेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. श्री बृजभूषण अग्रवाल आयु 59 वर्ष एक प्राधिकृत के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड दायी हो रहूंगा।

Naw Kalyan

हस्ताक्षर
नाम

2-3-2025

S. K. Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चालान क्रमांक SBIN000615914752303201917160

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

Uploaded Niyamali

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

रजिस्ट्रार नंबर 21086
रजिस्ट्रार का दिनांक 3/12/19

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

पहचान पत्र का क्रमांक CYZPP3564K

पते का क्रमांक NGU0800880

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-.....

साक्षी का नाम :- भुवन लाल साहू

साक्षी का पिता/पति:- श्री हेमलाल साहू

पूर्ण पता :- हेमलाल साहू प्लॉट न डी ८

मानसपुरम कालोनी मठपुरैना रायपुर

सत्य-प्रतिलिपि

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1439/2025
11/11/2025

रजिस्ट्रार, गधर 21086
रजिस्ट्रार का दिनांक 3/12/19

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

नियमावली

1. संस्था का नाम : नव कल्याण एसोसियेशन होगा ।
2. संस्था का कार्यालय : द्वारा राजेश पिछोडे, ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बान्नाघाट मध्यप्रदेश
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा
4. संस्था का उद्देश्य :
 1. अपने-अपने वार्ड एवं पंचायत की सड़क, पानी, बिजली एवं स्वच्छता की समस्याओं को पंचायत या वार्ड को अवगत कराना तथा सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता आदि के लिये संचालित योजनाओं में, संस्था के सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना ।
 2. संस्था के सदस्यों के मध्य व्यवसायिक एवं पेशेवर विषय द्वारा, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाना तथा आपसी सहयोग से विकास करना ।
 3. नशा कारक पदार्थों के सार्वजनिक विक्रय, उपयोग में राष्ट्रीय पाबन्दी तथा प्रतिबंध हेतु कार्य करना ।
 4. नागरिकों के रचारथ्य विकास हेतु कार्य करना ।
 5. नागरिकों की शिक्षा के संबंध में सरकारी सहयोग हेतु कार्य करना ।
 6. राष्ट्रीय स्तर पर, सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त करने हेतु प्रयास करना ।
 7. जनसंख्या वृद्धि पर, नियंत्रण करने हेतु प्रयास करना ।
 8. जनगणना का आधार जातिगत ना होकर, आर्थिक आधार पर किये जाने हेतु, कार्य करना ।
 9. बेरोजगारी कम करने हेतु प्रयास करना ।
 10. जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना ।
 11. सबके लिये समान कानून व्यवस्था हेतु कार्य करना
 12. शासकीय आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार, केवल आर्थिक आधार पर किये जाने हेतु प्रयास करना ।
 13. स्वच्छता के संबंध में कार्य करना ।

जा.स.

Fazal Khan

शुनिव कुमार यादव

रजिस्ट्रार नम्बर 20086..
रजिस्ट्रार का दिनांक 3/12/19

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

14. परिवहन नियम कानून, सड़क निर्माण एवं रख रखाव के विषय में, कार्य करना।
15. वाहनों के परिचालन समय सीमा एवं हेलमेट नियम के संबंध में प्रयास करना।
16. महंगाई के संबंध में कार्य करना।
17. शासकीय नौकरियों में पदस्थपना के लिये, सिविल सेवा परीक्षा के विषय पर कार्य करना।
18. 6वीं से 12वीं कक्षा तक, प्रेक्टिकल शिक्षा हेतु कार्य करना।
19. स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा का विषय प्रारंभ करने हेतु कार्य करना।
20. 5वीं से 12वीं कक्षा तक, स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस विषय पर प्रयास करना, राष्ट्रीय आय के स्रोतों के नियमों में, परिवर्तन के विषय में, कार्य करना।
21. आयकर दाताओं को इनके द्वारा 60 वर्ष की उम्र तक जमा की गई कुल आयकर राशि का 10 प्रतिशत, इनके 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद, एक मुश्त या किस्तों में वापस दिये जाने हेतु प्रयास करना।
22. भ्रष्टाचार में नियंत्रण के लिये प्रयास करना।
23. स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कार्य करना, कृषि उत्पादों के भंडार गृहों का विकेन्द्रीकरण करने हेतु प्रयास करना।
24. छोटे एवं मध्यम कृषकों के लिये, प्राकृतिक आपदा कृषि बीमा के संबंध में प्रयास करना।
25. खिलाड़ियों एवं खेलों के विकास के लिये कार्य करना।
26. व्यवस्थापिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य करना।



Fazal Karim

शुभिन कुमार यादव

5. सदस्यता-संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे-

1. आजीवन सदस्यता एवं संरक्षक सदस्य- ये वे सदस्य होंगे जिन्होंने संस्था के निर्माण में अपना नाम प्रस्तावित किये हैं तथा ये सदस्य संस्था के आवश्यक पदों को प्राप्त करेंगे। जो अनिवार्य रूप से 1200/- (बारह सौ) रु. एकमुश्त संस्था के खाते में प्रतिवर्ष जमा करायेंगे। इन्हें मतदान का अधिकार होगा।
2. साधारण सदस्य- साधारण सदस्यों से सदस्यता प्राप्ति के लिए 1200 रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष लिया जायेगा। इन्हें मतदान देने का अधिकार होगा।
3. सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारिणी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये, जो भी वे उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती हैं। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। परन्तु इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।
4. सामान्य सदस्य- ये वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्यों द्वारा सदस्यता प्राप्त करेंगे। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

6. सामान्य सदस्यता की प्राप्ति-

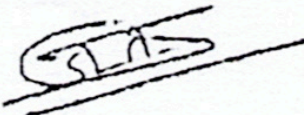
प्रत्येक नागरिक, जो संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक हैं, इसके लिये इन्हें, संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, संस्था के केवल लिखित उद्देश्यों के लिये, संस्था के नियमों एवं शर्तों का पालन करने के शपथ के साथ अपने ही वार्ड या पंचायत के पूर्व के, किसी सामान्य सदस्य के द्वारा परिचय के साथ, वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्य के समक्ष, प्रस्तुत करते हैं, तो संस्था की सामान्य सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, उसके वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्य को होगा किसी वार्ड या पंचायत का नागरिक, अपने ही वार्ड या पंचायत में, संस्था के सामान्य सदस्य बन सकते हैं। अन्य वार्ड या पंचायत में नहीं।

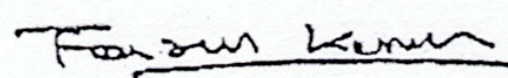
7. सदस्यता प्राप्ति हेतु योग्यता-

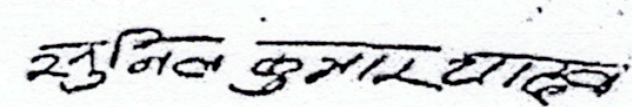
1. जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. उसका सोसायटी के प्रति विश्वास हो तथा वह उनका पालन करता हो।
4. जो, जातिगत भेदभाव नहीं रखता हो।
5. वह सचचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र पर यदि स्वीकृत हो जाने पर।
5. नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिती द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।







संस्था का आवेदन पत्र 21086
संस्था का दिनांक 31/12/19
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

संज्ञासूचक नम्बर 21086
संज्ञासूचक का दिनांक 3/12/19

9. सदस्यता पंजी-
इसमें निम्नलिखित उल्लेख होगा-

1. संस्था के प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उम्र, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित।
2. सदस्यों के प्रवेश की तारीख, रसीद क्रमांक सहित।
3. सदस्यों की सदस्यता समाप्त की तारीख।

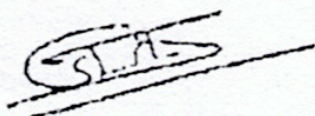
10. अ. साधारण सभा.: साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक माह जुलाई अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक की कारण 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्श में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

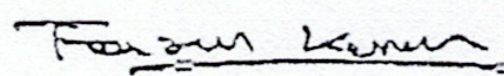
ब. प्रबन्धकारिणी सभा: प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य की भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

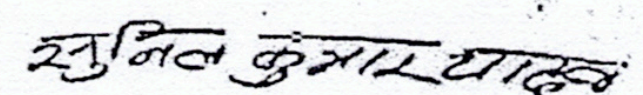
स. विशेष आमसभा : यदि कम से कम कुल संख्या ; कुल सदस्यों की संख्या का 3/5 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी एक विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- अ संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- ब. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- स. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- द अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- ई. बजट का अनुमोदन।







रजिस्ट्रार नंबर 21086...
रजिस्ट्रार का दिनांक 3/12/19
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार

12. प्रबन्धकारिणी का गठन: ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेगे। नियम 5 (व)(स) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव-1, कोषाध्यक्ष-1, सहसचिव-1, सदस्य-5

महामहोदय-1, कोषाध्यक्ष-1, महामहोदय-1, सदस्य-5

13. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :

1) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

2) प्रबन्धकारिणी का आय व्यय की लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

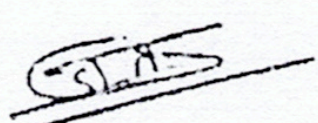
4) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

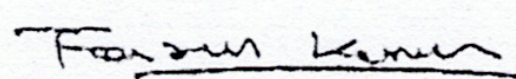
5) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

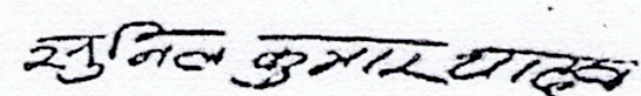
6) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

7) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरिक नहीं की जाएगी।

8) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मतों से संशोधित पारित होने का उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।







राजस्थान नगर
मजिस्ट्रेट का दफ्तर 21086
3/12/19
4
असिस्टेंट मजिस्ट्रेट

15. अध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिवद्वारा साधारण सभा में से प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव के अधिकार : -

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति की आय-व्यय की लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करने साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 15,000/- व्यय करना का अधिकार होगा।

सह सचिव के अधिकार :- सचिव द्वारा सह सचिव को जो भी कार्य सौंपा जायेगा वह उसका निर्वहण करेगा तथा सचिव के अधीन कार्य करेगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा रचीकृत व्यय करना।
19. बैंक खाता- सरथा की समस्त निधि राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। बैंक खाता अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से होगा। धन का आहरण अध्यक्ष के साथ सचिव या कोषाध्यक्ष किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 5000/- रहेंगे।
20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

जास

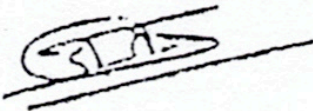
Fazal Kumer

सुनिल कुमार यादव

रजिस्ट्रार नम्बर 21086...
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19

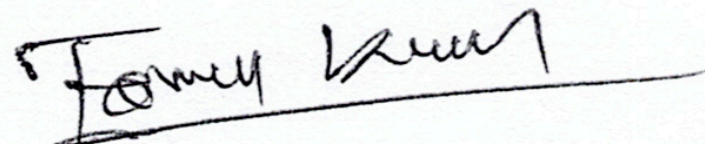
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

21. संशोधन-संस्था के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।
22. विघटन-संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति -संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से होगी। संस्था की अचल सम्पत्ति रथावर रजिस्टर फर्म्स एवं सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तारित नहीं की जा सकेगी। एवं उक्त हेतु शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।
24. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना- संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाया जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
25. विवाद-संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझा नेका अधिकार होगा। इस निश्चित से या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।



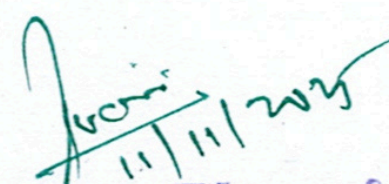
Fajun Kumar

सुनील कुमार यादव



सुनील कुमार यादव

सत्य-प्रतिलिपि


Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

(2)

निष्ठावली

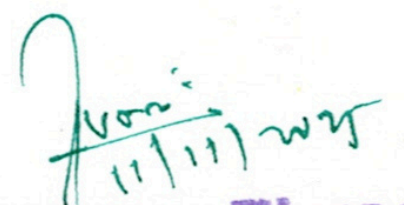
पत्नीपन कमाव

CX 644591

21086

3/12/2019




Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur